

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या-23/2024

संजय कुमार प्रजापति उर्फ संजय कुमार बनाम् अरविन्द पासवान।

यह वाद श्री संजय कुमार प्रजापति उर्फ संजय कुमार, पिता-श्री सौदागर पंडित, पता-मुहल्ला धर्मरायचक, वार्ड संख्या-06, पोस्ट+थाना-लखीसराय, जिला-लखीसराय द्वारा श्री अरविन्द पासवान, स्व0-कृष्णा पासवान, पता-पंजाबी मुहल्ला, वार्ड संख्या-15, पोस्ट+थाना-लखीसराय, जिला-लखीसराय(वर्तमान मुख्य पार्षद, लखीसराय नगर परिषद) के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18(1)(k) के तहत निर्वाचन वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष तक के बकाया Holding Tax को अदा नहीं करने के आधार पर मुख्य पार्षद, लखीसराय नगर परिषद, जिला-लखीसराय, बिहार के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री संजय कुमार प्रजापति उर्फ संजय कुमार का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी अरविन्द पासवान की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री अभिजीत गौतम द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री शशांक कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय को प्राधिकृत किया गया।
3. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्री अरविन्द पासवान वर्तमान में नगर परिषद, लखीसराय के मुख्य पार्षद हैं। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि पूर्व में भी श्री पासवान लखीसराय नगर परिषद के वार्ड पार्षद एवं मुख्य पार्षद रह चुके हैं। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि श्री पासवान नगर परिषद लखीसराय क्षेत्रान्तर्गत अनेकों भूखण्डों के स्वामी हैं, जिसका साक्ष्य उनके द्वारा वाद-पत्र के साथ संलग्न किया गया है। संलग्न किये गये साक्ष्य में भूखण्ड का सम्पूर्ण विवरण एवं इसके Owner का नाम अंकित है। आयोग उक्त साक्ष्यों का सत्यापन भी करा सकता है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि मुख्य पार्षद पूर्व से ही पार्षद एवं मुख्य पार्षद भी रहे हैं, अतः उन्हें बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली-2013 के सभी प्रावधानों का संज्ञान है कि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित सभी भूखण्डों/Holdings/परिसंपत्तियों का Holding Tax जमा करना अनिवार्य है। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया कि प्रतिवादी बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007(यथासंशोधित) की धारा-18(1)(k) से भी पूर्णरूपेण परिचित हैं। अतः जबकि उनके द्वारा निर्वाचन के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-2021-22(नामांकन की तिथि-12.09.2022) का संपूर्ण Holding Tax जमा नहीं किया गया है, बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007(यथासंशोधित) की धारा-18(1)(k) के प्रावधानों के तहत उन्हें अविलम्ब निरर्हित करते हुये, पदमुक्त किया जाना चाहिये।



4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का दावा अधूरे तथ्यों एवं मध्यवर्ती अभिलेखों पर आधारित है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा जितने भी भूखण्ड का विवरण वाद-पत्र में दिया गया है, उनमें से अधिकांश भूखण्ड उनके द्वारा काफी पूर्व ही बेचा जा चुका है, अर्थात् उनका मालिकाना हक उनके मुवक्किल के पास नहीं है। आगे उनके द्वारा यह भी दावा किया गया कि कुछ भूखण्डों/Holdings/परिसंपत्तियों जो वर्तमान में भी उनके नाम पर अंकित है, का सभी बकाया Holding Tax जमा करने एवं बकाया रहित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही उनके मुवक्किल द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया था। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा दिया गया, साक्ष्य पूर्व के मालिकाना हक को दर्शाते है न कि Updated मालिकाना हक को। उनके द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया कि जिला प्रशासन से प्राप्त साक्ष्यों का Verification संबंधित निबंधन कार्यालय से कराया जा सकता है। अंत में उनके द्वारा गलत साक्ष्यों पर आधारित वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।
5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा सत्यापन-सह-जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-2401/नि0, दिनांक-11.12.2024, द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नि0पा0), लखीसराय द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् है:-

“वाद संख्या-23/2024, संजय कुमार प्रजापति उर्फ संजय कुमार बनाम् अरविन्द पासवान मामले में गठित त्रिसदस्यीय कमिटी द्वारा जाँच प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, लखीसराय को उपलब्ध कराया गया, जिसका अपनी सहमति व्यक्त करते हुये, उनके द्वारा आयोग को उक्त पत्रांक से उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश/तथ्य निम्नवत् है:-

क्र0सं0	वादी द्वारा दिए गए संपत्ति का विवरण	संपत्ति का मालिकाना हक	प्रतिवादी से संबंध	संपत्ति की मौलिक अवस्थिति		Holding Tax भुगतान की स्थिति		अभ्युक्ति
				पंचायत वार्ड सं0	नगरपालिका वार्ड सं0	दिनांक-31.03.2022 तक कुल देयता	देयता के विरुद्ध भुगतान एवं भुगतान की तिथि (साक्ष्य सहित)	
01.	Deed No.6449/25.10.2006	भुवनेश्वर महतो, पे0-वासुदेव महतो	कोई संबंध नहीं	-	17	-	-	डीड नं0-2736, दिनांक-26.09.2009 प्रतिवादी द्वारा विक्रय किया जा चुका है।
		सुनीता देवी, पे0-श्याम बिहारी साव	कोई संबंध नहीं	-		-	-	डीड नं0-2738, दिनांक-26.09.2009 प्रतिवादी द्वारा विक्रय किया जा चुका है।
		राजकुमारी देवी, पे0-सतीश पाण्डे	कोई संबंध नहीं	-		-	-	डीड नं0-5053, दिनांक-21.10.2009 प्रतिवादी द्वारा विक्रय किया जा चुका है।
02.	Deed No.1541/12.03.2003	निलम मिश्रा, पे0-धनश्याम मिश्रा	कोई संबंध नहीं	-	13	-	-	डीड नं0-1092, दिनांक-02.03.2005 प्रतिवादी द्वारा विक्रय किया जा चुका है।
03.	Deed No.979/18.02.2003	लीला देवी, पे0-महेश मंडल	कोई संबंध नहीं	-	17	-	-	डीड नं0-1544 दिनांक-12.03.2003 प्रतिवादी द्वारा विक्रय किया जा चुका है।
04.	Deed No.9526/09.12.2002	सुनीता देवी, पे0-अनिल कुमार	कोई संबंध नहीं	-	16	-	-	खाता सं0-51, खेसरा सं0-137, को डीड नं0-5952, दिनांक-28.07.2003 को प्रतिवादी श्री अरविन्द पासवान के द्वारा श्रीमती सुनीता देवी, पे0-अनिल कुमार को विक्रय कर दिया गया।
		श्याम सुन्दर प्रसाद सिंह, पे0-रमेश चरणराज सिंह	कोई संबंध नहीं	-		-	-	खाता सं0-51, खेसरा सं0-137, को डीड नं0-5952, दिनांक-28.07.2003 को प्रतिवादी श्री अरविन्द पासवान के द्वारा श्याम सुन्दर प्रसाद

2024.12.26

									सिंह, पौ-स्व० धर्मराज सिंह को विक्रय कर दिया गया।
05.	Deed No.9525/09.12.2002	सुनीता देवी, पौ-अनिल कुमार	कोई संबंध नहीं	-	16	-	-	-	खाता सं०-51, खेसरा सं०-137, को डीड नं०-5952, दिनांक-28.07.2003 को प्रतिवादी श्री अरविन्द पासवान के द्वारा श्रीमती सुनीता देवी, पौ-अनिल कुमार को विक्रय कर दिया गया।
		श्याम सुन्दर प्रसाद सिंह, पौ-स्व० धर्मराज सिंह	कोई संबंध नहीं	-		-	-	-	खाता सं०-51, खेसरा सं०-137, को डीड नं०-5819 दिनांक-25.07.2003 को प्रतिवादी श्री अरविन्द पासवान के द्वारा श्याम सुन्दर प्रसाद सिंह, पौ-स्व० धर्मराज सिंह को विक्रय कर दिया गया।
06.	Deed No.9524/09.12.2002	सुनीता देवी, पौ-अनिल कुमार	कोई संबंध नहीं	-	16	-	-	-	खाता सं०-51, खेसरा सं०-137, को डीड नं०-5952, दिनांक-28.07.2003 को प्रतिवादी श्री अरविन्द पासवान के द्वारा श्रीमती सुनीता देवी, पौ-अनिल कुमार को विक्रय कर दिया गया।
		श्याम सुन्दर प्रसाद सिंह, पौ-स्व० धर्मराज सिंह	कोई संबंध नहीं	-		-	-	-	खाता सं०-51, खेसरा सं०-137, को डीड नं०-5819 दिनांक-25.07.2003 को प्रतिवादी श्री अरविन्द पासवान के द्वारा श्याम सुन्दर प्रसाद सिंह, पौ-स्व० धर्मराज सिंह को विक्रय कर दिया गया।
07.	Deed No.827/20.02.2007	श्रीमती रेखा देवी जौ०-विजय मण्डल	कोई संबंध नहीं	-		-	-	-	डीड रेखा देवी, जौ०-विजय मण्डल के नाम से है।
08.	Deed No.1696/15.06.2023	अरविन्द पासवान, स्व०-कृष्णा पासवान,	स्वयं	अंचल दरियापुर, राजस्व मौजा बेला	-	-	-	-	जिला सारण अंचल दरियापुर अन्तर्गत राजस्व मौजा बेला में परती भूमि है, जिसका दाखिल खारिज नामांतरण नहीं कराया गया है।
09.	Deed No.2309/23.04.2023	अरविन्द पासवान, स्व०-कृष्णा पासवान,	स्वयं	-	22	01 व्यक्ति।	Holding का भुगतान की राशि 4250 एवं भुगतान की तिथि 26.04.2024 है।		दिनांक-23.04.2023 को मकान क्रय किया है। जिसका Holding संख्या-LMP/22/0022307 द्वारा 2023-24 से 2024-25 तक कायम है।
10.	Deed No.1919/28.03.2023	अरविन्द पासवान, स्व०-कृष्णा पासवान,	स्वयं	-	22	-	Holding का भुगतान की राशि 4250 एवं भुगतान की तिथि 26.04.2024 है।		डीड नं० 1919 / 23.03.2023 का व्यव डीड (एकरारनाम) है, जो डीड नं०-2309, दिनांक-23.04.2004 से संबंधित है।
11.	Deed No.5330/27.11.2021	श्री सुरेन्द्र मण्डल, पिता-स्व० रामचन्द्र मण्डल	कोई संबंध नहीं	-	20	-	-	-	डीड नं० 5330, दिनांक-27.11.2021 प्रतिवादी द्वारा विक्री किया जा चुका है। Holding 2023-24 तक कायम है।
12.	Deed No.804/15.02.2021	अरविन्द पासवान, स्व०-कृष्णा पासवान,	स्वयं	पंचायत अमहारा, झाखड़	-	-	-	-	यह भूखण्ड लखीसराय अंचल अन्तर्गत अमहारा पंचायत के राजस्व ग्राम झाखड़ में खेत है एवं जिसका लगान वर्ष-2023-24 तक वसूल है।
13.	Deed No.3781/18.12.2020	अरविन्द पासवान, स्व०-कृष्णा पासवान,	स्वयं	-	33	01 व्यक्ति	Holding का भुगतान की राशि 1734 एवं भुगतान की तिथि 26.08.2021 है।		वित्तीय वर्ष-2021-2022 का Holding रसीद।
14.	Deed	रेखा देवी पौ० मन्नु कुमार	कोई संबंध नहीं	-	19	-	-	-	डीड नं० 3681, दिनांक-28.07.2021 प्रतिवादी द्वारा विक्री किया जा चुका है।

	No.2651/29.09.2020	प्रमोद कुमार, पे0 राजेन्द्र प्रसाद दास	कोई संबंध नहीं	—		—	—	डीड नं0 3679, दिनांक- 28.07.2021 प्रतिवादी द्वारा विक्री किया जा चुका है।
15	Deed No.4319/31.10.2015	शोभा रानी, पे0 रंजीत राम	कोई संबंध नहीं	—	19	—	—	डीड नं0 4046 दिनांक- 17.11.2017 प्रतिवादी द्वारा विक्री किया जा चुका है।
16	Deed No.3171/27.07.2015	रेखा देवी, पे0- पिकु सिंह	कोई संबंध नहीं	—	20	—	—	वित्तीय वर्ष-2016-2017 का Holding रसीद।
17	Deed No.2585/11.05.2013	महेश सिंह	कोई संबंध नहीं	—	—	—	—	डीड में महेश सिंह के नाम से है।
18	Deed No.628/08.02.2013	अरविन्द पासवान, स्व0-कृष्णा पासवान,		—	13	—	—	उक्त भूमि का 2013-14 से 2021-22 तक का Holding Tax की राशि मो0-93960/- होता है, वर्णित भूमि पर भूमि विवाद निवारण वाद संख्या-13/2013 एवं Title Suit No.66/2013 न्यायालय में वाद लक्षित है, जिस कारण अरविन्द पासवान, स्व0-कृष्णा पासवान, के नाम से Holding कायम नहीं किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद लखीसराय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।
19	Deed No.967/29.02.2012	गीता देवी, पे0-दिनानाथ चौरसिया	कोई संबंध नहीं	—	17		—	डीड नं0 661 दिनांक- 11.03.2017 के द्वारा विक्री किया जा चुका है।
20	Deed No.1887/03.05.2008	निर्मला देवी, पे0-बसंत लाल गुप्ता	कोई संबंध नहीं	—	23	—	—	डीड नं0 4306 दिनांक- 02.09.2009 के द्वारा विक्री किया जा चुका है।
21	Deed No.5273/06.09.2007	मंती देवी, पे0-जगमोहन प्रसाद	कोई संबंध नहीं	—		—	—	डीड नं0 1315 दिनांक- 27.03.2008 के द्वारा विक्री किया जा चुका है।
22	Property No.125000088	समोतार पासवान, अरविन्द पासवान, राजो पासवान, जोनमिलटन पासवान पिता-स्व0 कृष्णा पासवान	स्वयं तथा तीन भाई	—	15	4	Holding का भुगतान की राशि 312 एवं भुगतान की तिथि 26.08.2021 है।	वित्तीय वर्ष-2021-22 का Holding रसीद।

6. जिला प्रशासन के प्रतिवेदन को दोनों पक्षों को नैसर्गिक-न्याय के नियम के तहत उपलब्ध कराया गया, ताकि प्रतिवेदन के तथ्यों के आलोक में वह अपना मत आयोग के समक्ष रख सकें।



संभवतः प्रतिवेदन प्रतिवादी के पक्ष में रहने तथा उनके दावों की पुष्टि करने के कारण उनके द्वारा कोई लिखित या मौखिक तर्क उपलब्ध नहीं कराया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूरक शपथ-पत्र के माध्यम से यह दावा किया गया कि प्रतिवादी द्वारा जो Holding Tax वह वास्तव में कम राशि का दिया गया है, अर्थात् जितना Holding Tax अदा करना चाहिए, उतना Holding Tax अदा नहीं किया गया है।

7. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, लखीसराय का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय-निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:-

“आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्री अरविन्द पासवान (वर्तमान मुख्य पार्षद नगर परिषद्, लखीसराय) द्वारा निर्वाचन वर्ष-2022 में वित्तीय वर्ष-2021-22 तक का अपने सभी Holding एवं परिसंपत्तियों का Holding Tax जमा किये बिना निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिये तथा निर्वाचित हो गये जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18(1)(k) का उल्लंघन है एवं उक्त प्रावधानों के अधीन मुख्य पार्षद के पद हेतु निर्हरता का कारण है।”

अभिलेखीय साक्ष्यों से एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन से यह प्रमाणित पाया गया है कि वादी द्वारा कुल-22 भूखण्ड/संपत्ति(21 भूखण्ड एवं 01 संपत्ति) का अभिलेख साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराया है। साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि कुछ भूखण्ड निर्वाचन वर्ष के काफी पूर्व श्री अरविन्द पासवान द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय किया जा चुका है, जबकि कुछ भूखण्ड के मालिक श्री अरविन्द पासवान के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति हैं।

अभिलेखीय साक्ष्यों से एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन से यह भी प्रमाणित पाया गया है कि Property No.125000088 का Holding Tax (वित्तीय वर्ष-2021-22 का) उनके द्वारा दिनांक-26.08.2021 को जमा किया गया है, जबकि उनके द्वारा नामांकन-पत्र दिनांक-12.09.2022 को दाखिल किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवीक्षा के पूर्व प्रतिवादी का Holding Tax जमा था।

आयोग वादी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि वादी द्वारा कम Holding Tax अदा किया गया है, तो भी उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। यहाँ स्पष्ट करना है कि आयोग Tax निर्धारण करने या Tax की अदायगी से संबंधित Dispute का परीक्षण करने लिये सक्षम प्राधिकार या निकाय नहीं है। यदि किसी सक्षम प्राधिकार अथवा निकाय द्वारा यह आदेश निर्गत किया जाता है कि Under Paid Tax एवं Unpaid Tax का मामला समरूप है एवं इस प्रकार “प्रतिवादी

6

द्वारा सभी बकाये करों का भुगतान नहीं किया गया है," तब आयोग द्वारा वादी के उक्त अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18(1)(k) के प्रावधानों के उल्लंघन पर निरर्हित किया जा सकता है, परन्तु इसके लिये रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिये गये न्याय-निर्णय के आलोक में वादी को सक्षम प्राधिकार/न्यायालय/प्राधिकरण से आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसके लिये वादी स्वतंत्र है।

उक्त वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि वादी का दावा सही नहीं पाया गया है। अतएव वादी के अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

14.06.2025

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

14.06.2025

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-23/2024 27/21

प्रतिलिपि-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, लखीसराय/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई-मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

पटना, दिनांक-14.6.25

14/6/25

विशेष कार्य पदाधिकारी